सितम्बर - 2021

स्वास्थ्य हमर अधिकार हवय

मितानिन के लिए प्रशिक्षण पुस्तक

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	मितानिन की भूमिका	1-8
2	स्वास्थ्य पर समझ	9-17
3	गर्भवती में खतरे के लक्षण	18-22
4	नवजात बच्चों को गर्म रखना (कंगारू विधि)	23-25
5	निमोनिया	26-30
6	सड़क दुर्घटना	31-32
7	मितानिन कल्याण कोष	33-52

प्रथम संस्करण
सितम्बर - 2021

परिकल्पना एवं निर्माण
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

डिजाईन एवं ले-आऊट
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

मुद्रण
छत्तीसगढ़ संवाद

अध्याय - 1 | मितानिन की भूमिका

''सभी का स्वास्थ्य ठीक–ठाक हो एवं सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो।'' इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2002 से मितानिन कार्यक्रम चला रहा है। मितानिन कार्यक्रम के तहत् प्रत्येक मजरे टोले में एक महिला को मितानिन के रूप में चयन किया गया है जो स्वैच्छिक अपने पारे की सेवा कर रही है।

मितानिनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य में कई प्रकार के सुधार हुए हैं। नवजात के स्तनपान, टीकाकरण, गर्भवती की देखभाल, टी.बी., मलेरिया, कुष्ठ, निमोनिया, दस्त आदि बीमारियों की गांव स्तर पर पहचान और इलाज कर रही है। महिलाओं के अधिकार, शराब बंदी जैसे सामाजिक विषयों में भी मितानिन काम कर रही है।

मितानिन का काम है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कुछ जरूरी है, उसमें अपने पारा को मदद करना और स्वास्थ्य जिससे खराब होता है उससे बचाव के लिए समुदाय को जागरूक और मजबूत बनाना। मितानिन स्वास्थ्य और उससे जुड़ी चीजों को समझती है और इस विषय में पारा के मुखिया का काम करती है। मितानिन की जवाबदेही समुदाय के प्रति है। समुदाय ही मितानिन को चुनता है। मितानिन किसी प्रकार की कर्मचारी नहीं है। मितानिन पर किसी काम के लिए दबाव नहीं डाला जाना है।

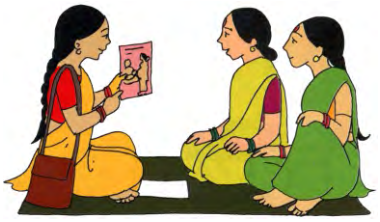

मितानिन की जवाबदेही–मितानिन अपने पारे के समुदाय के लिए कार्य करती है। इसलिए मितानिन की जवाबदेही समुदाय के प्रति है न कि किसी सरकारी विभाग के प्रति। पारा के लोग मिलकर मितानिन को चुनते हैं। मितानिन को हटाने का अधिकार भी पारे के लोगों को ही है।

समुदाय की जरूरत के आधार पर कार्य करना–मितानिन ऐसे कई काम करती है जिसके लिए प्रोत्साहन राशि नहीं है। पर ये काम पारे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। कुछ उदाहरण जैसे–

- दस्त का इलाज, दस्त से बचाव के लिए सलाह
- बीमार नवजात व निमोनिया वाले बच्चों की पहचान व इलाज में मदद
- खुजली, आंख आना, चोट, बुखार, दर्द आदि का इलाज करना
- गर्भवती में खतरे के लक्षण पहचानना, इलाज में मदद करना
- महिलाओं की खास समस्याओं में इलाज या रेफर करना
- महिला पर घरेलू और सामाजिक हिंसा रोकने में मदद करना
- साफ पेयजल, धुआंरहित चूल्हा और पोषण व खाद्य सुरक्षा के लिए मदद
- गर्भवती महिला को मातृवंदना योजना का लाभ दिलाने में मदद करना
- कई प्रकार के मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर जाना

पैसा मिलने का यह मतलब नहीं कि मितानिन कर्मचारी है या किसी के अधीन काम करेगी–स्वास्थ्य विभाग से मितानिनों को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मितानिन को कुछ कार्य के लिए जितना काम किया, उसी हिसाब से पैसा मिलता है। जो काम उसने नहीं किया, उसका पैसा नहीं मिलता है। उसका कोई मासिक वेतन नहीं होता है। इसलिए मितानिन की इच्छा है कि वह कौन सा काम करेगी और कितना समय करेगी।

मितानिन किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है। वह किसी कार्य को करने से मना कर सकती है। मितानिन प्रशिक्षक या ए.एन.एम. भी कोई काम बोले, यदि मितानिन करना न चाहे तो इंकार कर सकती है। मितानिन की भूमिका एक स्वयंसेवी की है न कि विभाग के कर्मचारी की। मितानिन को कोई कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।

मितानिन की भूमिका

मितानिन की भूमिका तीन तरह की है -

1. स्थानीय स्तर पर सीधे सेवा देना –

- बीमारियों से बचने के लिए परिवारों को सलाह देना और समुदाय को जागरूक करना।
- दस्त, बुखार, निमोनिया आदि के मरीजों की पहचान कर जरूरी सलाह और दवा देना।

2. अस्पताल और समुदाय के बीच में कड़ी का कार्य करना–बीमार एवं जरूरतमंद लोगों को अस्पताल पहुंचाना। जैसे –

- गर्भवती को प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के लिए
- टी.बी. एवं कुष्ठ के मरीजों की पहचान कर जांच व इलाज के लिए
- दस्त, मलेरिया, निमोनिया के गंभीर मरीजों को
- परिवार नियोजन आपरेशन, मोतियाबिंद आपरेशन के मरीजों को अस्पताल भेजना।

3. स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों को प्राप्त करने में मदद करना– मितानिन स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, रोजगार, महिलाएं एवं बच्चों से संबंधित सभी योजनाओं और कानूनों की जानकारी देती है। समुदाय, महिलाओं और कमजोर वर्गों को संगठित कर अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।

ध्यान रखने वाली बातें -

1. **दोषारोपण नहीं करना**—कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा बीमार और कमजोर रहे इसलिए ध्यान रखें कि बीमारी के लिए लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाए। इसलिए मितानिन होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि माता या परिवार को दोषी न ठहराकर उनकी मजबूरियों और परिस्थितियों को समझकर उन्हें सहयोग करें। उनकी हालत को समझकर सलाह देने से लोग ऐसी सलाह को अपनाते भी हैं।

2. **आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना**—मितानिनें घर–घर जाकर स्वास्थ्य का संदेश और सलाह दे रही हैं। बहुत से परिवारों को मदद कर रही हैं। लेकिन कहीं–कहीं कुछ परिवारों को मितानिन की सेवा नहीं मिल पा रही है। कुछ परिवार जो मितानिन के घर से थोड़ा दूर बसे होते हैं, कभी–कभी छूट जाते हैं। मितानिन को ऐसे परिवारों तक बार–बार जाने की जरूरत है। इसमें गांव के सबसे गरीब और बेसहारा लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मितानिन की पहुंच गांव के सबसे आखिरी व्यक्ति तक होनी चाहिए।

मितानिन को कार्य में आ रही कठिनाईयों में जरूरी मदद -

1. **अनावश्यक सर्वे करने, फार्मेट भरने एवं रिपोर्टिंग संबंधी कठिनाई**—कई बार मितानिन को स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों द्वारा सर्वे करने, डेली रिपोर्टिंग करने, प्रपत्र भरने का दबाव डाला जाता है। ऐसा करना सही नहीं है। मितानिन समुदाय को जागरूक करने के लिए है, न कि कागज भरने के लिए। मितानिन के लिए अपने दावा पत्र और मितानिन पंजी के अलावा और कोई फार्मेट भरना या लिखित कार्य करना जरूरी नहीं है।

प्रयास—सभी फार्मेट भरने के लिए मितानिन को स्वयं मना कर देना चाहिए। साथ ही मितानिन प्रशिक्षक/ब्लाक समन्वयक/जिला समन्वयक पूरे टीम द्वारा मना करना चाहिए कि यह मितानिन का कार्य नहीं है। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मितानिनों से फार्मेट भराने से रोकने के लिए राज्य स्तर से जिलों को पत्र भी भेजा गया है। इस पत्र का भी उपयोग करना चाहिए।

2. मितानिन की ड्यूटी लगाया जाना—कई बार मितानिन को स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों द्वारा किसी जगह पर उपस्थित रहने के लिए ड्यूटी लगा दी जाती है। ऐसा करना सही नहीं है। मितानिन अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है।

प्रयास—किसी भी ड्यूटी के लिए मितानिन चाहे तो मना कर सकती है। साथ ही मितानिन प्रशिक्षक / ब्लाक समन्वयक / जिला समन्वयक पूरे टीम द्वारा मना करना चाहिए कि ड्यूटी लगाना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मितानिनों की ड्यूटी लगाने से रोकने के लिए राज्य स्तर से जिलों को पत्र भी भेजा गया है। इस पत्र का भी उपयोग करना चाहिए।

3. बिना पैसा दिये प्रशिक्षण या बैठक में बुलाना—कई बार मितानिन को स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों द्वारा गैर–आवासीय प्रशिक्षण या बैठक के लिए ब्लाक मुख्यालय में बुलाया जाता है। वहां आने जाने का पैसा भी नहीं देते। ऐसा करना सही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिलों को निर्देश है कि बिना टी.ए. व क्षतिपूर्ति की व्यवस्था प्रशिक्षण नहीं करने चाहिए। प्रशिक्षण की जरूरत हो तो विभाग एम.टी. को उनकी बैठक में दे। एम.टी. संकुल बैठक में मितानिन को प्रशिक्षण दे सकते हैं। इससे मितानिन तक जरूरी जानकारी भी पहुंच जायेगी और उन्हें दूर जाने मे समय और पैसा नष्ट नहीं करना पड़ेगा।

4. हितग्राही को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलने एवं दुर्व्यवहार संबंधी कठिनाई—कई बार स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा हितग्राही को सेवा देने से मना कर दिया जाता है, अनावश्यक रेफर किया जाता है। कई बार अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मितानिन व हितग्राही के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

प्रयास—इन समस्याओं के समाधान के लिए विभाग से संबंधित व्यक्ति से बात करना चाहिए, लिखित आवेदन देना चाहिए, समस्या को ब्लाक स्तर तक पहुंचाना चाहिए। ब्लॉक समन्वयक, स्वस्थ पंचायत समन्वयक एवं मितानिन प्रशिक्षक द्वारा मितानिन व हितग्राही से घर जाकर मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनकी समस्या को सुनना चाहिए।

5. शिकायत करने पर न्याय नहीं मिलने संबंधी कठिनाई—कई बार हितग्राही को अस्पताल से सेवा या अन्य योजना का लाभ नहीं मिलने, उनसे अवैध राशि लेने अथवा दुर्व्यवहार होने संबंधी शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और मितानिन के ऊपर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जाता है। कई बार न्याय नहीं मिलता है।

प्रयास—समस्या को ब्लाक व जिला स्तर तक पहुंचाना चाहिए। मितानिनों को संगठन बनाकर न्याय के लिए आवाज उठाना चाहिए।

6. मितानिन प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी कठिनाई—कई बार मितानिन द्वारा दावा किये गये प्रोत्साहन राशि में से कुछ राशि बिना कारण काट दी जाती है। दावा प्रपत्र लेट जमा करने पर भुगतान में समस्या होती है। विभाग द्वारा कितनी राशि डाली गई है उसकी जानकारी नहीं होती। बैंक दूर होने के कारण पासबुक अपडेट कराने में समस्या होती है। कुछ जगह मितानिन से राशि की अवैध मांग करने की घटना भी हुई है।

प्रयास—एम.टी. द्वारा उपरोक्त समस्याओं को ब्लाक स्तर तक पहुंचाना चाहिए।

7. दवा आपूर्ति संबंधी कठिनाई—कई बार मितानिनों को आवश्यक दवा नहीं मिलती, समय पर दवा वितरण नहीं होता, दवा के रंग, पत्ते, आकार में परिवर्तन होने पर उसके संबंध में प्रशिक्षण नहीं मिलता, दवा के रख–रखाव ठीक से रखने संबंधी जानकारी नहीं मिलती।

प्रयास—उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए ब्लाक से जरूरी दवा लेकर आपूर्ति करना चाहिए,। जिन मितानिनों के पास ज्यादा मात्रा में दवाईयां है उनसे लेकर दूसरी मितानिन को देना चाहिए। एम.टी. से सहयोग मिलना चाहिए।

8. जानकारी/कौशल में कमी, सामग्री जैसे (पुस्तक, पर्चा, दवा, दावा प्रपत्र, अन्य साम्रगी) में कमी संबंधी कठिनाई—कुछ मितानिनों को कुछ आवश्यक जानकारी/कौशल में कमी रहती है। कुछ मितानिनों के पास प्रशिक्षण का पुस्तक नहीं रहता है। अभियान से संबंधित पर्चा कुछ मितानिनों को समय पर नहीं मिलता है। कुछ मितानिनें अन्य सामग्री से भी वंचित रह जाती है।

प्रयास—जिन जानकारी या कौशलों में कमी है उसे संकुल बैठक में सीखाना चाहिए। मितानिन के घर जाकर उससे मिलना चाहिए और उनको सीखाना चाहिए, उनके कार्य का आकलन करना चाहिए। मितानिन को दी जाने वाली सामग्री को उस तक पहुंचाना चाहिए।

9. स्वयं के अधिकारों के प्रति कम जागरूक होने संबंधी कठिनाई—मितानिनों द्वारा अनावश्यक सर्वे, रिपोर्ट भरने को स्वयं मना नहीं कर पाना। अपने प्रोत्साहन राशि या अन्य मांग से संबंधित समस्याओं को नहीं रख पाना। दुर्व्यवहार होने पर भी आवाज नहीं उठाना। किसी काम को करने के लिए मना नहीं करना।

प्रयास—स्वयं के अधिकार के प्रति भी मितानिनों को जागरूक करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। मितानिन प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के बारे में सीखाना चाहिए।

10. कार्य पर फीडबैक, प्रशंसा में कमी संबंधी कठिनाई—कई बार मितानिन द्वारा किये जा रहे कार्यों पर मितानिन प्रशिक्षक/ब्लाक समन्वयक/स्वस्थ पंचायत समन्वयकों द्वारा उचित फीडबैक नहीं मिलता है। मितानिन द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा की कमी रहती है।

प्रयास—मितानिन के द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर बैठक में एवं उनसे घर जाकर मिलकर जरूरी फीडबैक देना चाहिए। मितानिन प्रशिक्षक के साथ–साथ ब्लाक समन्वयक द्वारा मितानिन से व्यक्तिगत संपर्क करके उन्हें सीखाना एवं जरूरी फीडबैक देना चाहिए।

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र./ /2015 रायपुर, दिनांक .....

प्रति,

कलेक्टर

समस्त,

छत्तीसगढ़।

विषयः– मितानिनों को उनकी निर्धारित भूमिका से भिन्न कार्य हेतु बाध्य किये जाने बाबत्।

छत्तीसगढ़ राज्य में समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य की बेहतरी में मितानिनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। अत्यंत चिन्ता की बात है कि कई जिलों में मितानिनों से उनकी निर्धारित भूमिका से भिन्न कार्य हेतु आदेशित किये जाने की समस्या देखने में आ रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मितानिन समुदाय की ओर से एक स्वयंसेवी है जो समुदाय के स्वास्थ्य के लिए स्वैच्छिक कार्य कर रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं –

1. मितानिन अथवा मितानिन प्रशिक्षकों से न्यूनतम लिखित कार्य करवाये जाने चाहिए। उनके द्वारा राज्य से निर्धारित पंजी में आवश्यक जानकारियां संधारित की जाती हैं। यदि किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी मितानिन की पंजी से उपलब्ध जानकारी नोट कर सकते हैं। RSBY एवं SECC सूचियों के मिलान के सर्वेक्षण का कार्य मितानिन से नहीं कराया जाना है। मितानिन से कोई भी सर्वेक्षण कार्य करवाने से पहले राज्य स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य है।
2. मितानिन को किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाना है। इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जिनके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। मितानिन प्रशिक्षकों अथवा समन्वयकों द्वारा भी मितानिन से कोई कार्य दबाव–पूर्वक नहीं कराया जाना है। मितानिन यदि कोई कार्य नहीं करना चाहे तो उसे अधिकार है कि वे उसे करने से इनकार कर सकती है।
3. मितानिनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता है तो उनको यात्रा व्यय/क्षतिपूर्ति एवं भोजन आदि की व्यवस्था अवश्य की जानी है। प्रयास रहना चाहिए कि मितानिन को केवल आवासीय प्रशिक्षण के लिए ही विकासखण्ड स्तर तक बुलाया जावे। गैर–आवासीय प्रशिक्षण संबंधित संकुल/उपस्वास्थ्य केन्द्र में मासिक संकुल बैठक में मितानिन प्रशिक्षकों/ए.एन.एम. के माध्यम से सम्पादित किये जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।

सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन

क्र./सचिव/PS/2015/2294 रायपुर, दिनांक 18-11-2015

प्रतिलिपि –

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. कार्यकारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, कालीबाड़ी रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त सिविल सर्जन, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10/11/15
सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन

अध्याय - 2 | स्वास्थ्य पर समझ

स्वास्थ्य के विषय में आम समझ क्या है -

जब भी स्वास्थ्य के विषय में बात की जाती है तब लोग उसे बीमारी, डॉक्टर और दवाइयों से जुड़ा हुआ समझते हैं।

- लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ खास बीमारी है जिनके कारण वे अस्वस्थ हैं।
- फिर वे समझते हैं कि ऐसी स्थिति से उन्हें बचाने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही कुछ कर सकता है।
- फिर ये मानते है कि डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले इंजेक्शन या दवाई से ही वे ठीक हो सकते हैं।

बीमारी होने पर उसकी पहचान व इलाज करने में डॉक्टर, नर्स और दवाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीमारी हो जाने के बाद ईलाज करना तो आग लगने के बाद उसको बुझाने जैसा है। इससे अच्छा है कि आग लगे ही नहीं इसलिए स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है कि बीमारी होने से पहले ही उससे बचाव किया जाए और दवाई की जरूरत ही ना पड़े। बीमारी से बचने में गाँव के लोग स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं।

कई लोग समझते हैं कि किसी देवी देवता के प्रकोप से बीमारी हुई। ऐसी स्थिति में वे पास के बैगा या गुनिया की सहायता लेते हैं। उनके द्वारा झाड़ने या फूंकने से मरीज ठीक हो जाएंगे ऐसा आम विश्वास बना रहता है। अक्सर इनके झाड़ने–फूंकने से समस्या बढ़ ही जाती है और मरीज़ को बहुत परेशानी भी होती है। इसमें खूब पैसा भी खर्च होता है। इन सबके बावजूद लोगों की आस्था इन ओझाओं में बनी ही रहती है।

ऐसे में हमें सोचना होगा कि स्वास्थ्य की वास्तविक समझ क्या है। स्वास्थ्य को अच्छा या बुरा बनाने वाले कारण कौन–कौन से हैं। इसे भी समझना होगा।

आखिर स्वास्थ्य क्या है -

स्वास्थ्य का मतलब व्यक्ति का बीमार होने पर ईलाज से नहीं, बल्कि उसके शरीर, मन सामाजिक जीवन की बेहतरी से है। स्वास्थ्य का पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी, साफ–सुथरा परिवेश, उचित आय के साधन और पर्याप्त आराम से सीधा संबंध है या इस प्रकार कहा जाये कि –

अच्छा स्वास्थ्य क्या है -

बेहतर स्वास्थ्य का इन सबसे जुड़ाव है। यानि स्वास्थ्य माने जीवन की बेहतरी व खुशहाली का माप है।

हम बीमार क्यों होते हैं -

बीमारी की वजह से लोगों का जीवन खतरे में होने का कारण कुछ खास परिस्थितियाँ होती है।

स्वास्थ्य की बुरी स्थिति के पीछे कौन से कारण हैं -

1. गरीबी—गरीबी के कारण बहुत से लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरी सुविधाएं जैसे कि मकान, कपड़ा आदि की भी कमी रहती है। हमेशा रोजी—रोटी की तलाश में रहने के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता है। बीमार हो जाने पर ईलाज कराना भी गरीब लोगों के लिए कठिन हो जाता है।

2. स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाना—सरकार द्वारा बच्चे के जन्म के पहले से लेकर बुढ़ापे तक की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बहुत सी सेवाएं चलाई जा रही हैं। कुछ जगह यह सेवाएं ठीक चलती हैं और कई जगह इनमें कमी भी रह जाती है। जैसे कि कुछ अस्पतालों में स्टाफ की कमी है और कुछ जगह दवाई की कमी है।

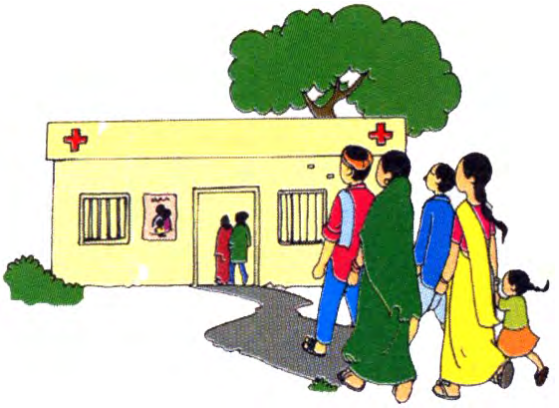

इन कमजोरियों के कारण लोग समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पाते हैं। बहुत जगह बीमारी की रोकथाम के कदमों में कमी रह जाती है। सरकारी सेवाओं में कमी को देख कर लोग मजबूरी में प्रायवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं किन्तु, वहां भी सही इलाज की गारंटी नहीं रहती और पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद धीरे—धीरे कई सरकारी सेवाओं में सुधार आ रहा है। इसमें और सुधार के लिए पंचायत और समुदाय द्वारा सरकारी सेवाओं की निगरानी करने और अपनी तरफ से संभव सहयोग देने की बहुत आवश्यकता है।

3. रोजगार, पोषण आदि सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ न मिल पाना—सरकार द्वारा रोजगार, खाद्य सुरक्षा और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे कि रोजगार गारंटी, राशन, मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी, वृद्धावस्था एवं बेसहारा पेंशन आदि। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कई कमियां रह जाती है। इससे लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता और वे कुपोषण और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। पंचायत और समुदाय द्वारा इन योजनाओं की निगरानी किये जाने से इनमें भी बहुत सा सुधार हो सकता है।

4. साफ पानी और शौचालय की कमी—इसके कारण दस्त, हैजा, पीलिया, टायफाइड आदि जल—जनित बीमारियां फैलती हैं।

5. जानकारी की कमी—जानकारी की कमी और अंधविश्वास भी खराब स्वास्थ्य के बड़े कारण हैं। बहुत से लोग नहीं जानते की बीमारी किस कारण से होती है, बीमारी से कैसे बचना है, बीमारी को समय पर पहचानना कैसे है, इसका इलाज कहां कराना है और इलाज में क्या सावधानी बरतनी है।

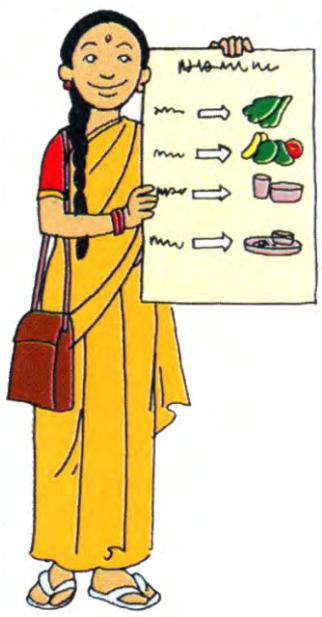

कई बार कर्मचारियों द्वारा लोगों को यह सब जानकारी देने का तरीका ठीक नहीं रहता। इसके कारण कुछ लोग जानकारी मिल जाने पर भी उस पर अमल नहीं करते।

यदि उस व्यक्ति की स्थिति को समझ कर सहानुभूति के साथ सलाह और जानकारी दी जाती है तो ज्यादा संभावना है कि उस बात पर ध्यान दिया जायेगा।

6. महिलाओं के साथ भेदभाव—महिलाओं को मां के पेट से लेकर आजीवन भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें पुरूषों से कम समझा जाता है। दहेज, मार–पीट, भ्रूण हत्या के खतरे बने रहते हैं। महिलाएं पुरूषों से कहीं अधिक काम करती हैं किन्तु उन्हें कम खाना मिलता है और उनकी जरूरतों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इस कारण महिलाएं ज्यादा बीमार पड़ती हैं और इस पर कम ध्यान दिया जाता है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाना जरूरी है।

7. दोषारोपण की समस्या—कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा बीमार और कमजोर रहे। पर फिर भी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अक्सर बीमारी और कुपोषण से पीड़ित गरीब लोगों को ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है।

इससे लोगों और कर्मचारियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। गरीब लोगों का स्वास्थ्य कर्मचारियों पर विश्वास कम हो जाता है। लोगों का स्वयं पर भी आत्मविश्वास कम हो जाता है और वे स्वास्थ्य के विषय में असहाय और मजबूर महसूस करते हैं।

स्वास्थ्य हमारा अधिकार है

स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ है -

- स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हों, जिन्हें समुदाय द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सके, जो ठीक से काम करती हो, सभी प्रकार की दवाइयां, उपकरण, स्टाफ हो।
- स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भेदभाव के बिना सभी को उपलब्ध हों। धर्म, जाति, आर्थिक हैसियत, लिंग आदि के आधार पर किसी को भी इलाज करने से मना नहीं किया जाए।
- स्वास्थ्य सेवाएं सबकी पहुंच में हों। यह सेवाएं मुफ्त उपलब्ध होनी चाहिए।

- समुदाय को उपलब्ध सेवाओं की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने हक के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ भोजन, पेयजल, रोजगार संबंधित सेवाएं भी स्वास्थ्य अधिकार के अंदर आती हैं। बिना भोजन, पेयजल अथवा रोजगार के बेहतर स्वास्थ्य नहीं हो सकता। इसलिए उन सभी का बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ाव है।

सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। गरीब तबके तक तो सभी सेवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए। जिस तरह से भोजन, रोजगार की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है उसी तरह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

वर्तमान परिस्थिति में कौन–कौन सी सेवाएं मिल रही है, उनके गुणवत्ता की क्या स्थिति है, कौन सी सेवाएं नहीं मिल पा रही है, इन सभी विषयों पर समझ बनाना होगा, ताकि हम स्वास्थ्य को अपने अधिकार के रूप में पा सकें।

मुख्य स्वास्थ्य सेवाएं कौन-कौन सी है ?

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.)—इसे टीकाकरण दिवस भी कहा जाता है। इसका आयोजन हर माह आंगनवाड़ी केन्द्र में किया जाता है। इसमें मुख्यतः बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाता है। मितानिन बुलाने में मदद करती है। ए.एन.एम. वहां बच्चों का टीकाकरण करती है और गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच करती है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र—वर्तमान शासकीय नीति के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या एवं आदिवासी क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र होने का प्रावधान है। लगभग दो पंचायत क्षेत्र को मिलाकर उसमें एक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. द्वारा प्रसव पूर्व जांच, प्रसव कराने और स्वास्थ्य जांच की सेवाएं दी जाती है। पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता मलेरिया के लिए स्लाइड बनवाने आदि के कार्य करते हैं। बच्चों में अंतराल के लिए कॉपर टी लगाने की सुविधा ए.एन.एम. से मिलनी चाहिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—सामान्य क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या एवं आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र होने का प्रावधान है। एक विकासखण्ड में लगभग 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हैं। यहां डॉक्टर या ग्रामीण चिकित्सा सहायक मरीजों को देखते हैं। यहां भर्ती होने की भी सुविधा देने का नियम है।

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव की सुविधा होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मलेरिया स्लाइड की जांच, टी.बी. के लिए खखार की जांच, खून की कमी की जांच आदि जांच सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।

माह में निर्धारित कम से कम एक–दो दिन महिला डॉक्टर द्वारा गर्भवती और महिलाओं की विशेष समस्याओं के लिए जांच और इलाज की सेवा मिलनी चाहिए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–सामान्य क्षेत्र में 1 लाख की जनसंख्या एवं आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने का प्रावधान है। हर विकासखण्ड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है। इसमें कई डॉक्टर एवं कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। यहां 24 घण्टे प्रसव की सुविधा होनी चाहिए।

अधिकांश प्रकार की जांच सेवा यहां उपलब्ध रहनी चाहिए। परिवार नियोजन आपरेशन, मोतियाबिंद आपरेशन, आपरेशन द्वारा प्रसव, खतरे के लक्षण वाले गर्भवती की जांच और इलाज, बीमार नवजात का इलाज आदि सुविधा यहां उपलब्ध रहनी चाहिए।

जिला अस्पताल–हर जिला में एक जिला अस्पताल होता है जहां विशेषज्ञ डॉक्टर, आपरेशन की सुविधा और सभी जांच सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय - 3 | गर्भवती में खतरे के लक्षण

ऐसा अनुमान है कि लगभग 6 में से 1 गर्भवती अथवा उनके होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। पर कई बार खतरे के लक्षण को पहचानने में देरी हो जाती है। इससे भी अधिक दुख की बात है कि कई गर्भवती में खतरे का पता चलने पर भी उन्हें जरूरी इलाज नहीं मिल पाता।

गर्भवती में खतरे के लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज होने से खतरे से बचा जा सकता है।

खतरे के लक्षण की पहचान—गर्भवती में कई खतरे के लक्षण की पहचान ए.एन.सी. (प्रसव पूर्व जांच) से पता चलते हैं।

खतरे के लक्षण होने पर क्या करेंगे –

1. गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर द्वारा जांच और इलाज
2. ऐसे अस्पताल में प्रसव कराना जहां आपरेशन की सुविधा हो

1. गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर द्वारा जांच और इलाज— गर्भावस्था में कई समस्या ऐसी होती हैं जिनका डॉक्टर दवाई देकर इलाज कर सकते हैं। इसलिए खतरे के लक्षण वाली गर्भवती को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि किसी गर्भवती का बी.पी. बढ़ा हुआ हो, शुगर बढ़ी हुई हो, खून की बहुत कमी (गंभीर एनिमिया) हो, झटके आना, बुखार या अन्य बीमारी हो तो डॉक्टर बीमारी को समझ कर सही दवा और सलाह देकर इसे ठीक कर सकते हैं। ऐसी गर्भवती से 8 वें 9 वें माह में मितानिन को बार–बार भेंट कर स्थिति का पता करते रहना चाहिए।

2. ऐसे अस्पताल में प्रसव कराना जहां आपरेशन की सुविधा हो—गर्भवती में यदि खतरे का कोई भी लक्षण हो तो उसका प्रसव ऐसे अस्पताल में ही कराना चाहिए जहां आपरेशन (सिजेरियन) की सुविधा हो। इसके लिए पहले से परिवार से बातकर गाड़ी व अस्पताल के लिए तैयारी करवा देनी चाहिए।

गर्भावस्था के दौरान खतरे के मुख्य लक्षण

नीचे बताये गये कोई भी खतरे के लक्षण होने पर गर्भवती को डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

चेहरे या हाथ/पैर में सूजन

झटके आना

खून जाना

बच्चे का हिलना-डुलना कम पता चलना

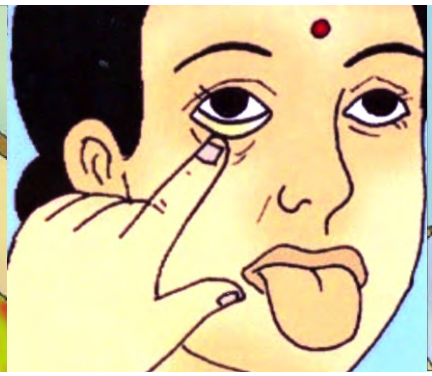

खून की गंभीर कमी होना (8 ग्राम से कम होना)

बुखार या मलेरिया होना

पीलिया होना

बी.पी. बढ़ा होना

शुगर बहुत बढ़ जाना

गर्भवती में निम्नलिखित खतरों के लक्षणों को मितानिन एक बार जांच करेगी -

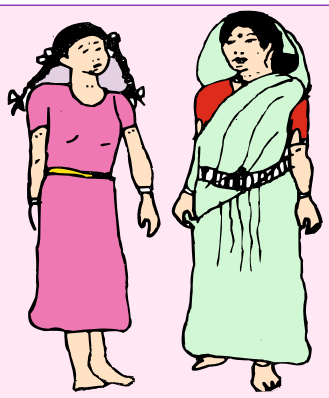

उम्र 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष के ऊपर होना

दो बच्चों में 3 साल से कम अंतराल होना

लम्बाई 4 फूट 10 ईच से कम होना

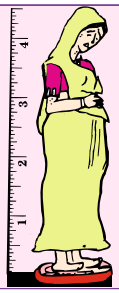

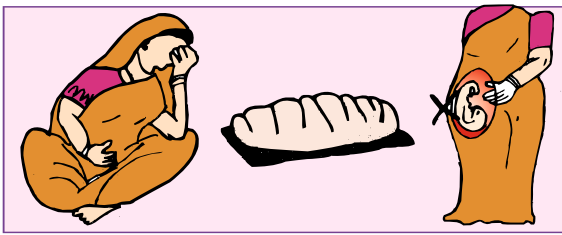

पूर्व में गर्भपात हुआ हो या मृत बच्चा पैदा हुआ हो

जिस महिला के चार या अधिक प्रसव हुए हों

जिस महिला का पहला प्रसव हो

गर्भधारण से पहले वजन 40 किलो से कम या 60 किलो से ज्यादा होना

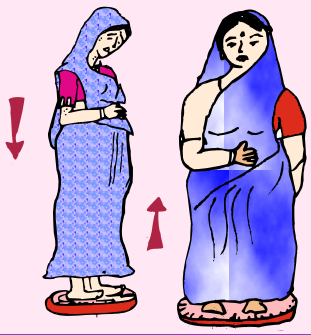

पूर्व गर्भावस्था के दौरान झटके आए हों

पूर्व प्रसव में 12 घंटे से अधिक समय लगा हो

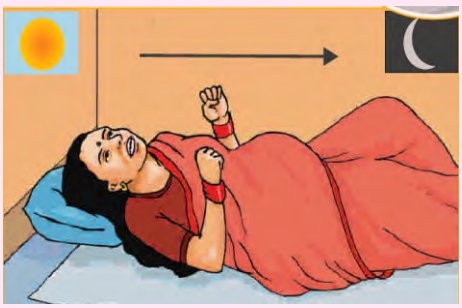

बच्चा आड़ा या उल्टा हो

जुड़वा बच्चे हों

पूर्व प्रसव आपरेशन से हुआ हो

कोई बीमारी जैसे मधुमेह (शुगर) या टी.बी. पहले से हो

गर्भवती में बी.पी.की समस्या—ए.एन.एम के द्वारा प्रसव पूर्व जांच में गर्भवती महिला की बी.पी. जांच करने पर ऊपर का 140 और नीचे का 90 से अधिक आता है तो कुछ समय बाद दोबारा बी.पी. की जांच करना चाहिए। यदि दूसरी बार के जांच में भी 140—90 आने पर बी.पी. बढ़ा हुआ माना जाता है।

कुछ गर्भवती में बी.पी. बढ़ने की समस्या 5 वें माह में शुरू होती है, कुछ को पहले से ही रहती है।

बढ़े हुए बी.पी. के लक्षण—शरीर में सूजन बढ़ जाना, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, धुंधला दिखाई देना, तेज सिर दर्द होना, उल्टी ज्यादा होना।

गर्भवती महिला के लिए बी.पी. बढ़ना बहुत खतरनाक होता है। प्रसवपूर्व जांच में हर बार बी.पी. का जांच कराना चाहिए और कितना रीडिंग आ रहा है उसे देखना चाहिए। जहां मितानिन के पास बी.पी. मशीन उपलब्ध हो वहां मितानिन द्वारा महिला की बी.पी. जांच करना चाहिए। समय पर बी.पी. का पता चले तो इलाज संभव होता है।

बढ़े हुए बी.पी. के लिए क्या करेंगे -

- गर्भवती महिला को डॉक्टर के पास जांच के लिए भेजना चाहिए। डॉक्टर गर्भवती महिला को दवाईयां देंगे जिससे बी.पी. ठीक रहेगा।
- 8—9 वें माह में लगातार बी.पी. की निगरानी करना चाहिए।
- यदि बी.पी. बढ़ा हो तो डॉक्टर के बताए अनुसार दवाईयां लगातार खाना चाहिए।
- कुछ महिलाओं का बी.पी. इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रसव भी कराना पड़ सकता है। लेकिन उस समय भी झटके से बचाने के लिए भी दवाईयां होती है। ऐसी महिला को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।

गर्भवती में खून की गंभीर कमी होना -

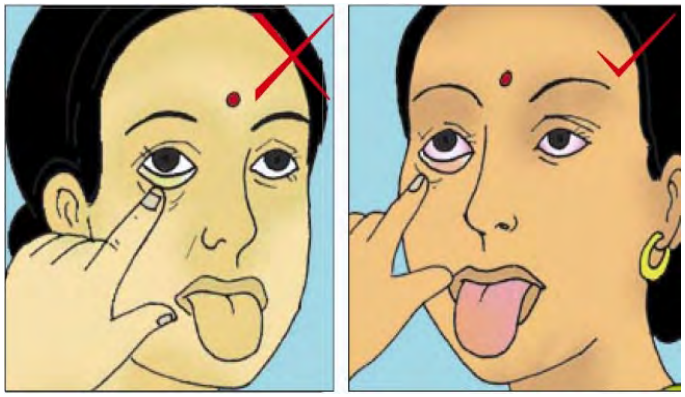

- गर्भावस्था में खून की कमी से बचाव के लिए गर्भवती को 180 आयरन गोली 6 माह तक खाने के लिए दी जाती है।
- किन्तु प्रसवपूर्व जांच में यदि गर्भवती महिला का खून 8 ग्राम से नीचे होने पर उसे आयरन सुक्रोस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। मितानिन को इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि किसी गर्भवती महिला के शरीर में 8 ग्राम से कम खून हो तो उसे अस्पताल रेफर करें ताकि उन्हें आयरन का इंजेक्शन लग पाये।

गर्भवती के लिए संदेश -

- ⇨ **गर्भवती को 4 बार प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए।**
- ⇨ **गर्भवती का वजन कम है या कमजोर है तो उसे रोज 1 अंडा खाने अथवा दूध पीने की सलाह देनी चाहिए।**
- ⇨ **आराम करने की सलाह देनी चाहिए।**
- ⇨ **खतरे के लक्षण पहचाने।**
- ⇨ **खतरे के लक्षण हों तो डॉक्टर से जांच और इलाज कराएं।**
- ⇨ **खतरे के लक्षण हों तो प्रसव ऐसे अस्पताल में कराएं जहां आपरेशन की सुविधा हो।**
- ⇨ **प्रसव के लिए अस्पताल और गाड़ी के लिए पहले से सोच के रखें।**

अध्याय - 4 | नवजात बच्चों को गर्म रखना (कंगारू विधि)

कंगारू विधि -

यह नवजात बच्चों को गर्म रखने का एक तरीका है। इसमें नवजात मां की छाती के पास रहने से गर्म रहता है। इसमें चमड़ी का चमड़ी से सम्पर्क होता है, जिससे मां की गर्मी बच्चे को मिलती है।

यह सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है, किन्तु समय से पूर्व जन्मे नवजात बच्चों एवं कम वजन के बच्चों के लिए तो यह बहुत ही जरूरी है।

कंगारू विधि के फायदे -

● कंगारू विधि से कमजोर नवजात की जान बचाई जा सकती है। ● बच्चा गर्म रहता है, ● बच्चा स्तनपान बेहतर कर पाता है, ● बच्चे का वजन बढ़ता है, ● मां के पास रहने से बच्चे और मां के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, ● बच्चे को बीमारी से बचाव होता है।

कंगारू विधि देना कब शुरू करना चाहिए -

बच्चे के जन्म के तुरंत बाद इसे स्तनपान के साथ शुरू करना चाहिए। इसका ज्यादा फायदा शुरूआती समय में करने से मिलता है। इसे मां के साथ–साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं।

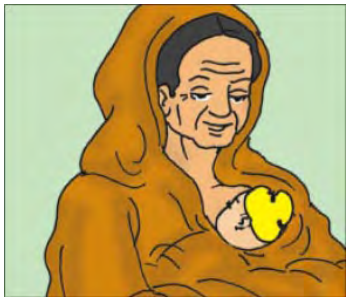

यदि किसी महिला का प्रसव आपरेशन से हुआ है और यदि वे कंगारू विधि देने में असमर्थ है उस परिस्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों जैसे बच्चे के पिता, दादा–दादी या अन्य रिश्तेदार जो साथ रहते हैं वे इसे दे सकते हैं।

कितनी देर तक कंगारू विधि देना देना चाहिए -

2.5 किलो से कम वजन के बच्चों को दिन में कम से कम 8 घंटे तक हर रोज देना चाहिए। इसके लिए परिवार के लोग बारी–बारी से इसे कर सकते हैं। बच्चा जितना कमजोर है उतना अधिक समय कंगारू विधि से रखना चाहिए।

यह ध्यान रहे कि एक बार में कम से कम एक घंटा रखना जरूरी है।

अन्य बच्चों के लिए माता–पिता अथवा परिवार के अन्य सदस्य जितना समय तक रख सकते हैं, इसे रखना चाहिए। इन्हें भी एक बार में कम से कम एक घंटा जरूर रखना चाहिए।

कंगारू विधि कब तक देना चाहिए -

नवजात के जन्म से लेकर तब तक दें जब उसका वजन ठीक न हो जाए। 15 दिन के बच्चे का वजन 2.5 किलो से अधिक हो जाना चाहिए।

कंगारू विधि कैसे देंगे -

- कंगारू विधि मां के साथ–साथ परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, दादा–दादी, चाचा–चाची, बुआ कोई भी दे सकते हैं।
- कंगारू विधि बैठकर एवं लेटकर दोनों तरह से दे सकते हैं।
- बैठकर देने के लिए पहले कुर्सी में बैठना है फिर अपने छाती व पेट वाले हिस्से के कपड़े को निकालना है फिर बच्चे को (बच्चे का कपड़ा पूरा निकालना है लंगोट को छोड़कर सिर में टोपा पहनाकर रखना है) छाती के बीच में ऐसे लिटाना है जिससे बच्चे की नाक न दबे, सिर को तिरछा कर देना है और ऊपर से एक कपड़ा बच्चे को ओढ़ा देना है।

- लेटकर देने के लिए मां अथवा परिवार के अन्य सदस्य को बिस्तर में लेटना है। अपने छाती व पेट वाले कपड़े को निकालना है (बच्चे का भी कपड़ा पूरा निकालना है लंगोट को छोड़कर सिर में टोपा पहनाकर रखना है) फिर बच्चे को अपने छाती के बीच में लिटाना है, सिर को तिरछा करना है जिससे नाक न दबे और सांस लेने में परेशानी न हो। फिर ऊपर से चादर अथवा अन्य कपड़ा ओढ़ लेना है।

मितानिन की भूमिका -

- गर्भवती के घर परिवार भ्रमण में 8 वें 9 वें माह में प्रसव पूर्व तैयारी के साथ कंगारू विधि कैसे देना है उसे मां व परिवार को सीखाना है।
- **नवजात के लिए प्रथम भेंट**–अस्पताल में प्रसव के बाद ही कंगारू विधि देने की शुरूआत की जानी चाहिए। अस्पताल में ही इसको देना सीखाएं।
- अस्पताल से वापस आने के बाद 12 घंटे के अंदर मितानिन का नवजात के घर भ्रमण जरूर होना चाहिए।
- जब–जब नवजात के घर भ्रमण के लिए जाएं, तो यह जरूर देखें कि बच्चे को कंगारू विधि से गर्म रखा जा रहा है।
- नवजात के घर भ्रमण में 1, 14, 21, 28, 42 वें दिन जाएं तो वजन मशीन लेकर जाएं। बच्चे का वजन लेकर देखें कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है अथवा नहीं।
- ढाई किलो से कम वजन का बच्चा हो तो उसके घर ज्यादा परिवार भ्रमण करें।

अध्याय - 5 | निमोनिया

सांस

भारत सरकार द्वारा निमोनिया से होने वाले मृत्यु को रोकने, इससे बचाव व इसके बेहतर प्रबंधन के लिए **''सांस''** (saans-Social Awareness And Actions To Neutralize Pneumonia Successfully निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्ययोजना बनाना) नाम का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत् 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया की जल्द पहचान करने त्वरित रेफरल व उचित उपचार जैसी बातों को शामिल किया गया है।

5 वर्ष तक बच्चों में होने वाली मृत्यु का एक बड़ा कारण निमोनिया है। 5 वर्ष तक के बच्चों में से लगभग 14.3 प्रतिशत (1.27 लाख) बच्चों का देशभर में हर साल निमोनिया से मृत्यु होता है। निमोनिया से होने वाली मृत्यु का संबंध कुपोषण, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना से है।

निमोनिया की पहचान -

निमोनिया की पहचान करने के लिए खांसी वाले सभी बच्चों के घर मितानिन को साप्ताहिक भेंट करना चाहिए। भेंट में निम्नलिखित लक्षणों की जांच करना चाहिए –

- पसली धंसना
- सांस की गति तेज होना

- **नवजात में - 60 या 60 से अधिक प्रति मिनट**
- **2 माह से 1 वर्ष - 50 या 50 से अधिक प्रति मिनट**
- **1 वर्ष से 5 वर्ष - 40 या 40 से अधिक प्रति मिनट**

सांस की गिनती करते समय ध्यान रखने वाली बातें -

- सांस की गिनती करते समय बच्चा रो न रहा हो, स्तनपान न कर रहा हो, हिल–डुल न रहा हो, बेचैन व चिड़चिड़ा न हो।
- यदि पहली बार गिनने पर सांस की गति तेज हो तो दोबारा फिर से गिनना है। दोबारा सांस की गति तेज होने पर उसे तेज सांस मानना है।

निमोनिया के लिए मितानिन को क्या करना चाहिए -

- मितानिन द्वारा निमोनिया का लक्षण पहचानने के बाद बच्चे को 5 दिनों तक एमोक्सी दवा देनी चाहिए।

उम्र के अनुसार एमोक्सी गोली (एमोक्सिसिलिन) (घुलने वाली) दवा की मात्रा -

उम्र	गोली की मात्रा (250 मि.ग्रा.)	कितने बार देना है	कितने दिन तक देना है
0 से 2 माह	◐ आधी गोली	24 घंटे में दो बार	5 दिन तक
2 माह से 1 वर्ष	◯ एक गोली	24 घंटे में दो बार	5 दिन तक
1 वर्ष से 5 वर्ष	◯ ◯ दो गोली	24 घंटे में दो बार	5 दिन तक

दवा देने का तरीका - उम्र अनुसार दवा की मात्रा को लेकर मां के दूध या पानी में घोल कर पिलाना चाहिए।

ध्यान रखें - कभी भी एमोक्सी दवा का अधूरा डोज नहीं देना है। पूरा डोज 5 दिनों का है।

रेफर करना कब जरूरी है - जिन बच्चों को ऊपर बताये गये निमोनिया के लक्षण के साथ–साथ इनमें से कोई लक्षण हों उन्हें अस्पताल रेफर करना जरूरी है।

बच्चा बेहोश या अत्यधिक सुस्त हो जाना

झटके आना

स्तनपान/खाना पीना बंद कर देना

बच्चा दवा लेने में असमर्थ हो

लगातार उल्टी होना

- ऐसे बच्चे को एमोक्सी का पहला डोज देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर अस्पताल जरूर रेफर करें। अस्पताल जाने के लिए 102 / 108 गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं।

निमोनिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए -

- बच्चों को ठंड से बचाने का प्रयास करना चाहिए।
- ठंड के दिनों में बच्चे को एक के ऊपर एक 2–3 कपड़े पहनाकर रखना चाहिए।

- सामान्य सर्दी खांसी में अदरक तुलसी की चाय पिलाना चाहिए।
- गरम पानी का भाप दिलाने के बारे में बताना चाहिए।
- सर्दी हो तो गरम पानी और गरम भोजन देना चाहिए।
- बच्चे को सर्दी–खांसी हो तो मितानिन से जांच कराना चाहिए।
- निमोनिया का टीका पी.सी.वी. लगवाना चाहिए।

- 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए।

- 6 माह के बाद स्तनपान के साथ–साथ ऊपरी आहार भी खिलाना चाहिए।

एमोक्सी का सही उपयोग -

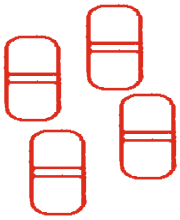

- एमोक्सी दवा का उपयोग केवल बीमार नवजात और निमोनिया के प्रकरण में करना है।
- बीमार नवजात में खतरे के लक्षण मिलने पर एवं निमोनिया में पसली धसने अथवा सांस की गति तेज होने पर एमोक्सी दवा देना है।
- एमोक्सी दवा का उपयोग सर्दी अथवा खांसी में नहीं करना है। केवल सर्दी खांसी होना निमोनिया नहीं है।
- एमोक्सी दवा केवल बीमार नवजात एवं 5 साल तक निमोनिया वाले बच्चों के लिए उपयोग करना है।
- एमोक्सी दवा बड़ों अथवा वयस्कों को नहीं देना है।
- एमोक्सी दवा का पूरा डोज 5 दिनों का है। इसलिए दवा का डोज पूरा करना जरूरी है। अधूरा डोज नहीं देना है।

यदि बच्चे को 14 दिनों से अधिक खांसी है तो उसे अस्पताल रेफर करें।
बच्चे को टी.बी. की संभावना हो सकती है।

उम्र अनुसार टीकाकरण की सूची

टीका का नाम	जन्म	1½ महीने	2½ महीने	3½ महीने	9 महीने	1½ साल
बी.सी.जी. (टी.बी. से बचाता है)	✔					
हेपेटाइटिस बी लिवर की बीमारी से बचाता है	✔					
ओ.पी.वी. पोलियो से बचाता है	✔	✔	✔	✔		✔
आई.पी.वी. पोलियो से बचाता है		✔		✔		
पैंटावेलेंट काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, हेप बी और हिब संक्रमण (इन्फेक्शन) से बचाता है		✔	✔	✔		
पी.सी.वी. निमोनिया से बचाता है		✔		✔	✔	
रोटा डायरिया (दस्त) से बचाता है		✔	✔	✔		
एम.आर. मीज़ल्स और रूबेला से बचाता है					✔	✔
जैपनीज़ इन्सेफेलाइटिस (जे.ई) दिमागी बुखार से बचाता है					✔	✔
डी.पी.टी. काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस से बचाता है						✔

अध्याय - 6 | सड़क दुर्घटना

आज सड़क दुर्घटना में बहुत से लोगों की जान जा रही है। बहुत से लोग एक्सीडेंट के कारण विकलांग हो रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद इलाज के भारी खर्च के कारण परिवार कर्जे में डूब जा रहे हैं। कई परिवारों के कमाने वाले एक्सीडेंट में मारे जाने से भी परिवार संकट में पहुंच जाते हैं। सड़क दुर्घटना में ज्यादा बच्चे और जवान लोग मारे जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या किसी भी बीमारी से होने वाली मृत्यु से अधिक है। प्रति जनसंख्या, एक्सीडेंट से मौत में छत्तीसगढ़ भारत में बहुत गंभीर स्थिति में है। यह ज्यादातर गाड़ी चलाने वालों की लापरवाही से होती है।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण -

- बहुत तेजी / लापरवाही से गाड़ी चलाना
- खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना
- नशा करके गाड़ी चलाना
- गाड़ी चलाते / सड़क पार करते समय मोबाईल से बात करना
- लाल सिगनल का पालन न करना
- सड़क के बांयी तरफ न चलना

दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं -

- गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखना चाहिए
- गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए
- गाड़ी चलाते समय मोबाईल का उपयोग नहीं करना चाहिए

- खतरनाक तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए
- ट्रैफिक सिगनल का पालन करना चाहिए (लाल लाइट जलने पर–रूकना चाहिए, पीला लाइट जलने पर–जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, हरा लाइट जलने पर–सड़क पार करना चाहिए)

- नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए
- नाबालिग बच्चों को (बगैर लाइसेंस) गाड़ी नहीं चलाना चाहिए
- रात के समय डिपर का प्रयोग करना चाहिए

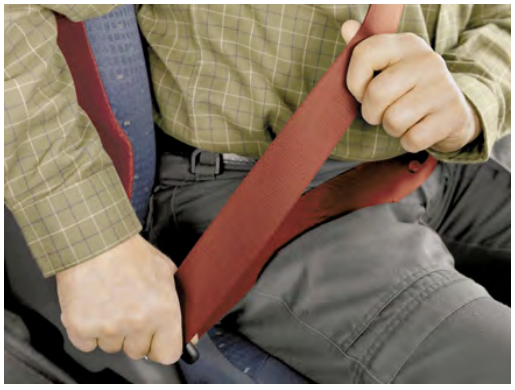

- हमेशा हेलमेट या चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए
- मोड़ वाले चौराहे पर गाड़ी धीमी करना चाहिए

अध्याय - 7 | मितानिन कल्याण कोष

मुख्य बिन्दु

1. मितानिन कल्याण कोष की सभी **आवेदन पूर्णतः निःशुल्क** है इसके लिए मितानिन से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. मितानिन कल्याण कोष योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत एवं आगे की प्रक्रिया के लिए मितानिन हेल्पलाइन न. **18002337575** के माध्यम से पूछ सकते हैं।
3. मितानिन डाटाबेस–मितानिन चयन प्रस्ताव के साथ **अनुमति पत्रक** लगाना अनिवार्य है। नये मितानिन को मितानिन कल्याण कोष योजना का लाभ मितानिन चयन के 6 माह पश्चात् ही मिल पायेगा ।
4. हितग्राही द्वारा कोर बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करते वक्त इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। जैसे– **स्पष्ट खाता संख्या, हितग्राही नाम, बैंक IFSC कोड।**
5. सभी योजनाओं के लिए आवेदन करते वक्त संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति ही संलग्न करें। केवल पति मृत्य के आवेदन के साथ मृत्य प्रमाण की मुल प्रति भी संलग्न करें, जांच के पश्चात् वापस किया जावेगा।
6. 75% उच्च शिक्षा हेतु –
   - वर्ष 2021 में 75% उच्च शिक्षा योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।
   - ऐसे मितानिन जिन्होंने पहला एवं दूसरा किस्त का लाभ ले चुके हैं। उन्हें तृतीय किस्त हेतु आवेदन के साथ कालेज द्वितीय वर्ष का अंक सूची लगाएं। किसी भी वजह से अगर बच्चा कोचिंग कर रहा है तो ऐसे में जब भी बच्चा आगे की पढ़ाई जारी रखेगा उस समय आवेदन प्रस्तुत करने पर योजना का लाभ मिल जावेगा।
7. सभी योजनाओं के प्रारूप में मितानिन का हस्ताक्षर होना एवं मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है।
8. मितानिन मृत्यु/पति मृत्यु में **हत्या/आत्महत्या** के प्रकरणों को योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
9. मितानिन मृत्यु/पति मृत्यु में मृतक की आयु **60 वर्ष** से अधिक होने पर योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
10. स्वावलंबन पेंशन का फार्म भरवाते वक्त हितग्राही का केवल हस्ताक्षर/अंगुठा **काले पेन/स्याही** से निर्धारित स्थान पर करावे।
11. जिन मितानिनों का जांच प्रकरण (किसी प्रकार की अनियमितता) चल रहा हो ऐसे प्रकरणों को मितानिन कल्याण कोष का लाभ नहीं मिल पाएगा।

12. मृत्यु से संबंधित आवेदनों को (पति मृत्यु एवं मितानिन मृत्य)–**1 जनवरी 2017** के पूर्व के आवेदनों का भुगतान नहीं किया जावेगा।

अन्य सभी योजनाएं–1 जनवरी 2019 के पूर्व के आवेदनों का भुगतान नहीं किया जावेगा।

13. **आकस्मिक सहायता** –

- डॉ. भीम राव अंबेडकर (मेकाहारा) में ईलाज कराने आने से पहले संदीप साहू, मोबाइल नंबर– **7489453517** और प्रियेश पाढ़ी, मोबाईल नंबर– **9406334483** से जरूर संपर्क करें।
- आकस्मिक सहायता हेतु मितानिन को ईलाज के लिये रायपुर स्थित डॉ. भीम राव अंबेडकर (मेकाहारा) अस्पताल से किया जावेगा। मितानिन अपने ईलाज से सबंधित समस्त जांच की रिपोर्ट रायपुर लेकर आयेगें।
- ईलाज के समय होने वाले खर्च को मितानिन को स्वयं वहन करना होगा, ईलाज के पश्चात् अतिरिक्त खर्चे की राशि का भुगतान किया जावेगाा।
- डॉ. भीम राव अंबेडकर (मेकाहारा) मे ईलाज के दौरान हुए खर्चे मरीज द्वारा स्वयं वहन करना पड़ेगा बाद में अतिरिक्त खर्चे की राशी का भुगतान राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र में बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् मितानिन के बैंक खाते में किया जावेगा **(मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत अधिकतम तय राशि रु. 10000/–)**।
- इसके लिये बिल की मूलप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मितानिन कार्यक्रम द्वारा प्राप्त मितानिन परिचय पत्र की छायाप्रति।
- डॉ. भीम राव अंबेडकर (मेकाहारा) में ईलाज कराने के लिए **सुबह 9.00 बजे** तक आने का प्रयास करें।
- डॉ. भीम राव अंबेडकर (मेकाहारा) में ईलाज हेतु आने से पहले **पूर्व मे किए गए सभी मेडिकल जांच रिपोर्ट** साथ लेते आवें। मितानिन अपना **परिचय पत्र एवं स्मार्ट कार्ड** साथ लाएं।
- मितानिन को अगर पुनः ईलाज एवं जांच के लिए मेकाहारा बुलाया जाता है, तो **डॉक्टर द्वारा लिखा गया पर्ची में निर्धारित दिन का सील देखकर आवें।**
- मरीज के साथ अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनके रूकने खाने की व्यवस्था अस्पताल के सामने लक्ष्मी मेडिकल के बाजू में स्थित मंगल भवन में व्यवस्था किया जाता है, (प्रति व्यक्ति 50/– रूपये) मरीज के परिवार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- कैंसर संबंधित बीमारी के ईलाज के लिए **सुबह 7.00** बजे आना आवश्यक है।

(विशेष नोट–यदि मितानिन के द्वारा स्वंय की जवाबदेही में निजी अस्पताल में किसी प्रकार का ईलाज करवाया जाता है तो उस स्थिति में मितानिन कल्याण कोष के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जावेगी।)

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष

प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन प्रारूप

(मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के बच्चे जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित किए हैं)

(1) आवेदन कौन सी कक्षा उत्तीर्ण करने का है (कृपया (✓) का चिन्ह लगावें) –

कक्षा 10वीं ☐ कक्षा 12वीं ☐

(2) आवेदन कौन सी किश्त हेतु है (कृपया (✓) का चिन्ह लगावें) –

पहली किश्त ☐ दूसरी किश्त ☐

(3) आवेदक का नाम – .....

(4) आवेदक वर्तमान में किस पद में है (कृपया (✓) का चिन्ह लगावें) –

मितानिन ☐
मितानिन प्रशिक्षक ☐
ब्लॉक समन्वयक ☐
स्वस्थ पंचायत समन्वयक ☐

(5) पति का नाम – .....

(6) वर्तमान पता – .....

पारा – .....
ग्राम – .....
पंचायत – .....
विकासखण्ड – .....
जिला – .....
पिन कोड – .....
मोबाईल नं. – .....

(7) बच्चे का नाम – .....

(8) आवेदक के बच्चे ने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है –

(उपरोक्त कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकसूची मितानिन द्वारा स्वप्रमाणित (स्वयं का हस्ताक्षर) छायाप्रति संलग्न करें)

कुल अंक	प्राप्तांक

(9) आवेदक के बैंक खाते की जानकारी (कोर बैंकिग सुविधा युक्त बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)।

बैंक का नाम – .....
स्थान – .....
बैंक का खाता क्र. – .....

शपथ पत्र

(नाम परिवर्तन होने की स्थिति में भरें)

मैं, ..., पति/पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक पासबुक में अंकित दोनों नाम ..... (सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के हैं एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गए समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख, मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मेरे बच्चे ने प्रथम प्रयास में ही 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित किया है, पूरक या श्रेणी सुधार के तहत नहीं। मेरे बच्चे को इस प्रोत्साहन राशि के समतुल्य लाभ अन्य शासकीय स्त्रोत से प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मुझ पर किसी भी प्रकार के प्रकरण में राज्य स्तर से जांच नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी यदि असत्य पायी जाती है तो प्रोत्साहन राशि की पात्रता समाप्त की जाएगी एवं संस्था द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर –

1. मितानिन प्रशिक्षक का नाम ..... मितानिन प्रशिक्षक के हस्ताक्षर .....
   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....
2. ब्लॉक समन्वयक का नाम ..... ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर .....
   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि आवेदक ..... वर्तमान में ..... है एवं आवेदक से मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत उसके बच्चे को 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित करने पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक ..... को प्राप्त किया है। निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाती है।

संलग्न दस्तावेजों की सूची –

1. **अंकसूची की छायाप्रति** ☐
2. **पासबुक की छायाप्रति** ☐
3. .....
4. .....

.....

हस्ताक्षर एवं सील
(जिला समन्वयक)

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु मानक एवं संलग्न दस्तावेज

- यह योजना 1 जुलाई 2013 से लागू है। प्रोत्साहन राशि हेतु मितानिन के बच्चे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित करते हैं तो कक्षा 10वी के लिये रू 25,000 एवं कक्षा 12वी के लिये रू 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
- इस योजना के तहत आवेदक के बच्चे को प्रथम प्रयास में 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित करना होगा, पूरक या श्रेणी सुधार के तहत उत्तीर्ण करने वाले बच्चे को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जावेगा। यह सुविधा केवल उन छात्रों के लिए है जिन्हें इसके समतुल्य लाभ अन्य शासकीय स्त्रोत से प्राप्त न हुआ हो।
- आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं का किन्हीं प्रकरण में राज्य स्तर से जांच चल रहा हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी। अतः आवेदक को आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक अपने बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करें। प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में ही किया जावेगा। आवेदक के नाम में परिवर्तन या भिन्नता (आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में) होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेज (आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न – अंकसूची, बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति) जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदक के बच्चे को प्रोत्साहन राशि किश्तो में दिया जावेगा –

  (अ) कक्षा 10वीं के लिये रू 25,000 – कक्षा 10वीं के पश्चात् = रू. 10,000
  कक्षा 11वीं के पश्चात् = रू. 15,000

  (ब) कक्षा 12वीं के लिये रू 50,000 – कक्षा 12वीं के पश्चात् = रू. 25,000
  कॉलेज के प्रथम वर्ष के पश्चात् = रू. 25,000

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष

प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन प्रारूप

(मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के बच्चे जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित किए हैं)

तृतीय किस्त

---

(1)आवेदक का नाम– .....

(2) आवेदक वर्तमान में किस पद में है (कृपया (✓) का चिन्ह लगावें) –

मितानिन ☐
मितानिन प्रशिक्षक ☐
ब्लॉक समन्वयक ☐
स्वस्थ पंचायत समन्वयक ☐

(3) पति का नाम – .....

(4) वर्तमान पता – .....

पारा – .....
ग्राम – .....
पंचायत – .....
विकासखण्ड – .....
जिला – .....
पिन कोड – .....
मोबाईल नं. – .....

(5) बच्चे का नाम – .....

(6) आवेदक के बच्चे ने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है (कृपया (✓) का चिन्ह लगावें) –

कॉलेज द्वितीय वर्ष ☐

(उपरोक्त कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकसूची मितानिन द्वारा स्वप्रमाणित (स्वयं का हस्ताक्षर) छायाप्रति संलग्न करें)

कुल अंक	प्राप्तांक

(7) आवेदक के बैंक खाते की जानकारी (कोर बैंकिग सुविधा युक्त बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)।

बैंक का नाम – .....
स्थान – .....
बैंक का खाता क्र. – .....

शपथ पत्र

(नाम परिवर्तन होने की स्थिति में भरें)

मैं, ..., पति/पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक पासबुक में अंकित दोनों नाम ..... (सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के हैं एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गए समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख, मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मेरे बच्चे नें प्रथम प्रयास में ही 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित किया है, पूरक या श्रेणी सुधार के तहत नहीं। मेरे बच्चे को इस प्रोत्साहन राशि के समतुल्य लाभ अन्य शासकीय स्त्रोत से प्राप्त नही हो रहा है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मुझ पर किसी भी प्रकार के प्रकरण में राज्य स्तर से जांच नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी यदि असत्य पायी जाती है तो प्रोत्साहन राशि की पात्रता समाप्त की जाएगी एवं संस्था द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर –

1. मितानिन प्रशिक्षक का नाम ..... मितानिन प्रशिक्षक के हस्ताक्षर .....
   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....
2. ब्लॉक समन्वयक का नाम ..... ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर .....
   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि आवेदक ..... वर्तमान में ..... है एवं आवेदक से मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत उसके बच्चे को 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित करने पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक ..... को प्राप्त किया है। निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाती है।

संलग्न दस्तावेजों की सूची –

1. **अंकसूची की छायाप्रति** ☐
2. **पासबुक की छायाप्रति** ☐
3. .....
4. .....

.....

हस्ताक्षर एवं सील
(जिला समन्वयक)

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु मानक एवं संलग्न दस्तावेज

- यह योजना 1 जुलाई 2013 से लागू है। प्रोत्साहन राशि हेतु मितानिन के बच्चे जिन्होने 10वी अथवा 12वी कक्षा में 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित करते है तो कक्षा 10वी के लिये रू 25,000 एवं कक्षा 12वी के लिये रू 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
- इस योजना के तहत आवेदक के बच्चे को प्रथम प्रयास में 75% या अधिक प्रतिशत अर्जित करना होगा, पूरक या श्रेणी सुधार के तहत उत्तीर्ण करने वाले बच्चे को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जावेगा। यह सुविधा केवल उन छात्रों के लिए है जिन्हें इसके समतुल्य लाभ अन्य शासकीय स्त्रोत से प्राप्त न हुआ हो।
- आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं का किन्ही प्रकरण में राज्य स्तर से जांच चल रहा हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी। अतः आवेदक को आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक अपने बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करें। प्रोत्साहन राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में ही किया जावेगा। आवेदक के नाम में परिवर्तन या भिन्नता **(आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में)** होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- आवेदक द्वारा स्वंय सत्यापित दस्तावेज **(आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न – अंकसूची, बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति)** जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदक के बच्चे को प्रोत्साहन राशि किश्तो में दिया जावेगा –

  (अ) कक्षा 10वीं के लिये रू 25,000 – कक्षा 10वीं के पश्चात् = रू. 10,000
  कक्षा 11वीं के पश्चात् = रू. 15,000

  (ब) कक्षा 12वीं के लिये रू 50,000 –
  कक्षा 12वी के पश्चात् कॉलेज के प्रथम वर्ष में = रू. 10,000
  कॉलेज के द्वितीय वर्ष में = रू. 20,000
  कॉलेज के तृतीय वर्ष में = रू. 20,000

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष

शिक्षा प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन प्रारूप

1. आवेदक मितानिन का नाम : .....
2. पद : .....
3. पिता का नाम : .....
4. पति का नाम : .....
5. वर्तमान पता : ग्राम .....
   पंचायत .....
   विकासखण्ड ..... जिला .....
6. फोन/मोबाईल नम्बर : .....
7. आवेदन करने का दिनांक : .....
8. वर्तमान में कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की गई : (✓ का चिन्ह लगावें)

8वीं कक्षा	10वीं कक्षा	12वीं कक्षा	स्नातक	स्नातकोत्तर

(उपरोक्त कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकसूची, आवेदक स्वयं/जिला समन्वयक/मितानिन प्रशिक्षक/ब्लॉक समन्वयक एवं जिला समन्वयक द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न करें।)

1. उपरोक्त कक्षा उत्तीर्ण करने का दिनांक : .....

(प्रमाणपत्र/अंक सूची अनुसार)

2. आवेदक के बैंक खाते की जानकारी **(बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)**–
   बैंक का नाम : .....
   शाखा : .....
   बैंक का खाता क्रमांक : .....

शपथ पत्र

(नाम परिवर्तन होने कि स्थिती में भरें)

मैं, ..., पति/पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र, अंकसूची एवं बैंक पासबुक में अंकित सभी नाम ..... (सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के हैं एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख, मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मुझ पर किसी भी प्रकार के प्रकरण में राज्य स्तर से जांच नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी, यदि असत्य पायी जाती है, तो शिक्षा प्रोत्साहन राशि की पात्रता समाप्त की जावेगी एवं संस्था द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन :–

1. मितानिन प्रशिक्षक के हस्ताक्षर ..... मितानिन प्रशिक्षक का नाम .....
   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....
2. ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर ..... ब्लॉक समन्वयक का नाम .....
   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि आवेदक .....वर्तमान में ..... है एवं आवेदक से मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत शिक्षा प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन दिनाँक ..... को प्राप्त किया है। निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाती है ।

संलग्न दस्तावेजों की सूची –

1. अंकसूची की छायाप्रति ☐
2. पासबुक की छायाप्रति ☐
3. .....
4. .....

.....

हस्ताक्षर व सील (जिला समन्वयक)

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु मानक एवं संलग्न दस्तावेज

- शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु मितानिन, मितानिन प्रशिक्षिक, ब्लाक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयक ही पात्र होंगे।
- आवेदक को प्रोत्साहन राशि तभी मिलेगी यदि –

  (क) आवेदक ने 1 जुलाई, 2011 के बाद 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं पास की हो

  अथवा

  (ख) आवेदक ने 1 अप्रैल, 2013 के बाद स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पास किया हो
- प्राप्त करने हेतु आवेदक को 1 जुलाई, 2011 के बाद 8वीं, 10वीं, 12वीं, एवं 1 जुलाई, 2013 के बाद स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड / मण्डल / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं का किन्ही प्रकरण में राज्य स्तर से जांच चल रहा हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी। अतः आवेदक को आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र / अंकसूची का सत्यापन मुल प्रति को देखकर ही करें।
- अंक सूची का सत्यापन निम्न प्रकार मान्य होगा :–
  - अ) आवेदन मितानिन करती है तो – मितानिन स्वयं, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं जिला समन्वयक द्वारा अपना सत्यापन मुल प्रति को देखकर किया जावे।
  - ब) आवेदन मितानिन प्रशिक्षक करती है तो – मितानिन प्रशिक्षक स्वयं, ब्लॉक समन्वयक एवं जिला समन्वयक द्वारा सत्यापन किया जावे।
  - स) आवेदन ब्लॉक समन्वयक / SPS करते हैं तो – समन्वयक स्वयं एवं जिला समन्वयक द्वारा सत्यापन किया जावे।
- आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेज (आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न – अंकसूची, बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति) जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदक के प्रमाण पत्र / अंकसूची अथवा आवेदक के बैंक खाते के पासबुक के नाम में किसी प्रकार के परिवर्तन होने कि स्थिति में शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरे।
- देय प्रोत्साहन राशि क्रमशः
  - 8वीं उत्तीर्ण – 2,000 रू.
  - 10वीं उत्तीर्ण – 5,000 रू.
  - 12वीं उत्तीर्ण – 10,000 रू.
  - स्नातक उत्तीर्ण – 10,000 रू.
  - स्नातकोत्तर उत्तीर्ण – 10,000 रू.

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष

मितानिन के पति की मृत्यु उपरान्त परिवार को सहायता हेतु आवेदन प्रारूप

दावा प्रपत्र

खण्ड–अ

1. आवेदक का नाम :– ..... पद.....
2. मृतक का नाम :– ..... जन्म तिथि.....
3. मृत्यु/अपंगता दिनांक :– ..... स्थान.....
4. मृत्यु/अपंगता का कारण :– ..... मृतक की आयु .....
5. आवेदक का सदस्य के साथ संबंधः– .....
6. जिला :– ..... विकासखण्ड .....
7. ग्राम/नगर वार्ड :– .....
8. पंचायत/शहर :– .....
9. आवेदक का मोबाईल नं. (अनिवार्य):– .....

एतद् द्वारा मैं घोषणा करती हूँ कि अपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक दृष्टिकोण से सत्य एवं पूर्ण है।

(आवेदक का हस्ताक्षर)
दिनांक : .....

खण्ड–ब (बैंक खाते की जानकारी)

* बैंक का नाम :– .....
* खाता संख्या :– .....IFSC कोड .....

शपथ पत्र

(मृतक/मृतक के पिता/हितग्राही के नाम परिवर्तन होने कि स्थिती में भरें)

मैं, ... ,पति/पिता श्री..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, संलग्न प्रपत्रों में अंकित नाम (सभी नामों को लिखें) .....एक ही व्यक्ति के नाम ह।

.....
शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मितानिन प्रशिक्षक द्वारा सत्यापान

मेरे द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदक .....पारा..... की मितानिन है, उसके पति का नाम.....था एवं उनकी मृत्यु दिनाकं....., को कारण..... से हुई है।

मितानिन प्रशिक्षक का नाम..... **मितानिन प्रशिक्षक के हस्ताक्षर**.....

प्रति हस्ताक्षर :–

1. ब्लॉक समन्वयक का नाम :..... ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर :.....

दिनांक ..... मोबाईल नम्बर :.....

खण्ड–स (निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच जिला समन्वयक द्वारा किया जावे)

सामान्य मृत्यु पर निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करें (कृपया ☑ का चिन्ह लगावें):–

1. मृत्यु प्रमाण पत्र की मूलप्रति ☐
2. मृतक का आयु प्रमाण पत्र की छायाप्रति ☐
3. आवेदक के कोर बैंक खाते की छायाप्रति ☐

दुर्घटना से मृत्यु पर निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करें(कृपया ☑ का चिन्ह लगावें):–

उपरोक्त 1,2,3 प्रपत्र के साथ – ☐

4. प्रथम सूचना प्रतिवेदन (पुलिस) ☐
5. पोस्ट माटम रिपोर्ट ☐

अपंगता होने पर निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करें (कृपया ☑ का चिन्ह लगावें):–

1. अपंगता प्रमाण पत्र % में ☐
2. प्रभावित व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र ☐
3. प्रभावित व्यक्ति का कोर बैंक खाते की छायाप्रति ☐

.....

हस्ताक्षर एवं सील

जिला समन्वयक/शहर समन्वयक

हस्ताक्षर एवं सील

(नोडल एजेन्सी/अधिकृत व्यक्ति)

मितानिन के पति की मृत्यु पर परिवार को सहायता हेतु मानक

- यह योजना 1 जुलाई 2011 से लागू है।
- इस योजना के तहत मितानिन के पति की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत हत्या/आत्महत्या वाले प्रकरणों को योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
    - **मृत्यु उपरांत सहायता राशि का विवरण :–**
      अ) सामान्य मृत्यु पर होने पर = रू. 50,000/–
      ब) दुर्घटना से मृत्यु होने पर = रू. 95,000/–
      स) अपंगता होन पर = (% अनुसार राशि दी जावेगी)
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र हेतु वोटर आई डी/आधार कार्ड/वोटर लिस्ट/अंकसूची 10वी जिसमें आयु/जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, कि छायाप्रति लगाए।
- आवेदक अपने कोर बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करें। आवेदक को सहायता राशि बैंक के माध्यम से ही भुगतान किया जावेगा। आवेदक के नाम में परिवर्तन या भिन्नता **(आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में)** होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- आवेदक द्वारा सभी संलग्न दस्तावेजों में **हस्ताक्षर कर स्वप्रमाणित** किया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष
कन्या विवाह सहायता राशि हेतु आवेदन प्रारूप

(विधवा/परित्यक्ता मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के लिये)

(1) आवेदिका का नाम :– .....

(2) आवेदिका वर्तमान में किस पद में है (कृपया ✓ का चिन्ह लगावें):–

मितानिन ☐

मितानिन प्रशिक्षक ☐

ब्लॉक समन्वयक ☐

स्वस्थय पंचायत समन्वयक ☐

(3) पिता का नाम :– .....

(4) वर्तमान पता –

पारा :– .....

ग्राम :– .....

पंचायत :– .....

विकासखण्ड :– .....

जिला :– .....

पिन कोड :– .....

मो. नं. :– .....

(5) आवेदिका के बैंक खाते की जानकारी (कोर बैंकिग सुविधा युक्त बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करे) :–

बैंक का नाम :– .....

स्थान :– .....

बैंक का खाता कं. :– .....

(6) आवेदिका के पूर्व अथवा मृतक पति का नाम :–.....

(कृपया ✓ का चिन्ह लगावें)

(अ) विधवा :–.....

या

(ब) परित्यक्ता :–.....

(ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

(7) विवाह योग्य कन्या का नाम ..... आयु .....

विवाह का संम्भावित दिनांक .....

(8) कन्या का विवाह जिस व्यक्ति के साथ तय हुआ है उसकी जानकारी :–

वर का नाम :– .....

आयु :– .....

पारा :– .....

ग्राम :– .....

पंचायत :– .....

विकासखण्ड :– .....

जिला :– .....

पिन कोड :– .....

मो. नं. :– .....

शपथ पत्र
(नाम परिवर्तन होने कि स्थिती में भरें)

मैं, ... ,पति/पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक पासबुक में अंकित सभी नाम ..... (सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के है एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....
शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मुझ पर किसी भी प्रकार के प्रकरण में राज्य स्तर से जांच नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी यदि असत्य पायी जाती है तो कन्या विवाह सहायता राशि की पात्रता समाप्त कर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

.....
आवेदिका के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर :–

1. मितानिन प्रशिक्षक का नाम :..... मितानिन प्रशिक्षक के हस्ताक्षर :..... दिनांक :..... मोबाईल नम्बर :.....
2. ब्लॉक समन्वयक का नाम :.....ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर :..... दिनांक :..... मोबाईल नम्बर :.....

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि आवेदिका ..... वर्तमान में ..... है एवं आवेदिका .....(विधवा/परित्यक्ता) है। आवेदिका से मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत आवेदिका की कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दिनांक..... को प्राप्त किया है। निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाती है।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

(1).....
(2).....
(3).....
(4).....
(5).....

.....
हस्ताक्षर एवं सील
(जिला समन्वयक)

कन्या विवाह सहायता राशि प्राप्त करने हेतु मानक

- यह योजना 1 सितम्बर 2018 से लागू है। जिन विधवा/परित्यक्ता मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक,ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों की कन्या का विवाह 1 सितम्बर 2018 के बाद तय हुआ है, आवेदन कर सकेंगे एवं वे ही पात्र होंगे।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कन्या विवाह सहायता राशि के तहत विधवा/परित्यक्ता मितानिनों की लड़की के विवाह के समय रू- 20,000 की राशि आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी।
- कन्या के उम्र का प्रमाण हेतु वोटर कार्ड, अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेज मान्य है। उपरोक्त उपलब्ध नहीं होने पर सरपंच द्वारा जारी पत्र भी मान्य होगा।
- यदि मितानिन विधवा या परित्यक्ता है तो इसका प्रमाण हेतु सरपंच द्वारा जारी पत्र एवं मितानिन विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
- आवेदिका अपने बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें। आवेदिका को कन्या विवाह सहायता राशि बैंक के माध्यम से ही भुगतान किया जावेगा। आवेदिका के नाम में परिवर्तन या भिन्नता **(आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में)** होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं का किन्ही प्रकरण में राज्य स्तर से जांच चल रहा हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी। अतः आवेदिका को आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेज **(आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न सभी में)** जमा किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष

मातृत्व कल्याण राशि हेतु आवेदन प्रारूप (मितानिनों के लिए)

1. आवेदक मितानिन का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. पति का नाम : .....
4. वर्तमान पता –
   - पारा : .....
   - ग्राम : .....
   - पंचायत : .....
   - विकासखण्ड : .....
   - जिला : .....
5. आवेदन करने का दिनांक : .....
6. मितानिन का मोबाईल नम्बर : .....
7. आवेदक के बैंक खाते की जानकारी –
   - बैंक का नाम : .....
   - शाखा का नाम : .....
   - बैंक का खाता क्रमांक : .....
8. यदि मितानिन आवेदन करने के समय गर्भवती है तो प्रसव की संभावित तिथि : .....

   अथवा

   यदि आवेदन करने के समय मितानिन का प्रसव हो चुका है तो प्रसव की तिथि : .....

शपथ पत्र
(नाम परिवर्तन होने कि स्थिती में भरें)

मैं, ..., पति/पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक पासबुक में अंकित सभी नाम .....(सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के हैं एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मुझ पर किसी भी प्रकार के प्रकरण में राज्य स्तर से जांच नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी यदि असत्य पायी जाती है, तो मातृत्व कल्याण कोष की पात्रता समाप्त की जा सकती है। मैने गर्भावस्था/प्रसव का प्रमाण एवं बैंक खाता की फोटोकापी संलग्न की है।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर (मितानिन)

सत्यापन :–

1. मितानिन प्रशिक्षक के हस्ताक्षर ..... मितानिन प्रशिक्षक का नाम .....

   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....

2. ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर ..... ब्लॉक समन्वयक का नाम .....

   दिनांक ..... मोबाईल नम्बर .....

जिला समन्वयक द्वारा सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि

1. आवेदक ..... वर्तमान में पारा की ..... (मितानिन) है एवं आवेदक से मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत मातृत्व कल्याण राशि हेतु आवेदन दिनांक ..... को प्राप्त किया गया है।

2. आवेदक मातृत्व कल्याण राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है। हां ..... / नही.....

   निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :

1. जन्म प्रमाण पत्र ☐
2. पासबुक की छायाप्रति ☐
3. .....

.....

हस्ताक्षर व सील (जिला समन्वयक)

मातृत्व कल्याण राशि प्राप्त करने हेतु मानक

- पात्रता – कोई भी मितानिन जिसका प्रसव 1 जुलाई 2013 के बाद संभावित है, मातृत्व कल्याण राशि के लिए पात्र है।
- आवेदन कब करना है – मितानिन गर्भधारण का पता चलने के बाद आवेदन कर सकती है।
- आवेदन के साथ गर्भावस्था के प्रमाण के लिए क्या लगाना है – 1. जच्चा–बच्चा कार्ड की फोटोकापी अथवा 2. प्रसव पूर्व जांच की पर्ची अथवा 3. प्रसव के समय अस्पताल से प्राप्त पर्ची (संलग्न दस्तावेजो में किसी भी प्रकार से कांट छांट ना किया गया हो)।
- आवेदन के साथ कोर बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति जरूर होनी चाहिए। भुगतान बैंक खाते में भेजा जायेगा।
- गर्भवती मितानिन के लिए 15,000 रू. की मातृत्व कल्याण राशि निर्धारित की गई है।
- आवेदक के नाम में परिवर्तन या भिन्नता (आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में) होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं का किन्हीं प्रकरण में राज्य स्तर से जांच चल रहा हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी। अतः आवेदक को आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेज (आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न – जच्चा–बच्चा कार्ड, प्रसव पूर्व जांच की पर्ची, प्रसव के समय अस्पताल से प्राप्त पर्ची, बच्चें के जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति) जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- मितानिन के प्रसव पूर्व आवेदन करने की स्थिती में बच्चें के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति जरूर संलग्न करें।

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष

मातृत्व कल्याण राशि हेतु आवेदन प्रारूप

(मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के लिए)

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता / पति का नाम : .....
3. वर्तमान पता –
   ग्राम : .....
   पंचायत : .....
   विकासखण्ड : .....
   जिला : .....
   मोबाईल नम्बर : .....
4. आवेदन करने का दिनांक : .....
5. आवेदक के बैंक खाते की जानकारी –
   बैंक का नाम : .....
   स्थान : .....
   बैंक का खाता क्रमांक : .....
6. आवेदक के सभी बच्चों की जानकारी –

क्र.	बच्चों का नाम	जन्म तिथि

7. अवकाश पर जाने का विवरण
   (गर्भावस्था के दौरान 9वें माह से)
   आगामी 5 माह हेतु, कुल 6 माह अनिवार्यतः) : माह (कब से) ...../...../..... (कब तक) ...../...../.....
8. प्रसव की जानकारी –
   क. प्रसव का दिनांक : ...../...../.....
   ख. प्रसव कहां हुआ (✓) का चिन्ह लगावें :
   - अस्पताल में ☐ : .....
     (अस्पताल का नाम लिखें एवं अस्पताल से प्राप्त डिस्चार्ज स्लीप लगावें।)
   - घर में ☐ :

   ग. प्रसव यदि घर में हुआ है तो –

सरपंच / पंच द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है, कि श्रीमती ..... पति ..... निवासी ग्राम पंचायत ..... पोस्ट ..... विकासखण्ड / तह. ..... जिला ..... का घर में दिनांक ..... को प्रसव हुआ।

स्थान :.....
दिनांक :.....

.....
सरपंच / पंच का नाम एवं हस्ताक्षर
सील सहित

नोट–सरपंच / पंच द्वारा भरा जाये।

शपथ पत्र
(नाम परिवर्तन होने कि स्थिती में भरें)

मैं, ..., पति / पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक पासबुक में अंकित सभी नाम ..... (सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के हैं एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि, इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मुझ पर किसी भी प्रकार के प्रकरण में राज्य स्तर से जांच नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी यदि असत्य पायी जाती है, तो मातृत्व कल्याण राशि की पात्रता समाप्त कर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(मितानिन प्रशिक्षक / ब्लाक समन्वयक / स्वस्थ पंचायत समन्वयक)

जिला समन्वयक द्वारा सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि

1. आवेदक ..... ग्राम / ..... विकासखण्ड ..... जिला ... .वर्तमान में.....(मितानिन प्रशिक्षक / ब्लाक समन्वयक / स्वस्थ पंचायत समन्वयक) है एवं आवेदक से मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत मातृत्व कल्याण राशि हेतु आवेदन दिनांक .....को प्राप्त किया है।
2. आवेदक पूर्ण मातृत्व सहायता राशि प्राप्त करने हेतु शर्तों को पूर्ण करती है। हां..... / नही..... अतः आवेदक को.....रू सहायता राशि देय होगी।

निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाती है।

संलग्न दस्तावेजों की सूची –

1. जन्म प्रमाण पत्र ☐
2. अस्पताल से प्राप्त डिस्चार्ज स्लीप ☐
3. 6 माह का अवकाश पत्र ☐
4. पासबुक की छायाप्रति ☐

.....

हस्ताक्षर एवं सील

जिला समन्वयक

मातृत्व कल्याण राशि प्राप्त करने हेतु मानक

- मातृत्व कल्याण राशि 1 नवम्बर 2011 से लागू किया गया है।
- मातृत्व कल्याण राशि प्राप्त करने हेतु मितानिन प्रशिक्षक / ब्लाक समन्वयक / स्वस्थ पंचायत समन्वयक ही पात्र होंगे।
- आवेदक मातृत्व कल्याण राशि हेतु आवेदन प्रसव के पश्चात् ही कर सकती है।
- जन्में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- साधारणतः आवेदक को मातृत्व अवकाश की अवधि, गर्भावस्था के 9वें माह से आगामी 5 माह तक अवकाश दिया जावेगा (कुल 6 माह)। मातृत्व अवकाश की एक प्रति संलग्न करें जिसमें खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला समन्वयक द्वारा सत्यापन किया गया हो।
- आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं का किन्हीं प्रकरण में राज्य स्तर से जांच चल रहा हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी। अतः आवेदक को आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक के बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें, आवेदक को मातृत्व सहायता राशि बैंक के माध्यम से भुगतान होगा। कोर बैंक के खाते की पासबुक की छाया प्रति ही संलग्न करें।
- आवेदक के नाम में परिवर्तन या भिन्नता (आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में) होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- पूर्ण मातृत्व सहायता राशि केवल 15,000 रू. एकमुश्त राशि, प्रथम दो बच्चों तक के लिए निर्धारित है, पूर्ण सहायता राशि लेने के लिए महिला के बच्चों के बीच 3 साल का अंतराल होना अनिवार्य है। इसका सत्यापन जिला समन्वयक द्वारा किया जावेगा। यदि शर्ते पूर्ण नहीं होती है, तो 10000 रूपये की सहायता राशि देय होगी।
- आवेदक स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करे।

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष
मितानिन की मृत्यु उपरान्त परिवार को सहायता हेतु आवेदन प्रारूप

(जिनका स्वयं का जीवन बीमा नही कराया गया है उन सभी मितानिन,मितानिन प्रशिक्षक,ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के लिये)

(1) आवेदक का नाम :– .....

(2) आवेदक का मितानिन के साथ सम्बन्ध :– .....

(3) मृतक मितानिन का नाम :– .....पद .....
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(4) मृतक मितानिन की आयु ..... एवं मृत्यु का कारण .....

(5) पति का नाम :– .....

(6) आवेदक के निवास की जानकारी :–

पारा :– .....
ग्राम :– .....
पंचायत :– .....
विकासखण्ड :– .....
जिला :– .....
पिन कोड :– .....
मो. नं. :– .....

(7) आवेदक के बैंक खाते की जानकारी (कोर बैंक सुविधा युक्त बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें) :–

बैंक का नाम :– .....
स्थान :– .....
बैंक का खाता क्रं :– .....

शपथ पत्र
(नाम परिवर्तन होने कि स्थिती में भरें)

मैं, ... ,पति/पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र एवं बैंक पासबुक में अंकित दोनों नाम ..... (सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के हैं एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....
शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मितानिन प्रशिक्षक/प्रशिक्षिका द्वारा सत्यापान

सत्यापित किया जाता है कि आवेदक .....पारा.....ग्राम.....
वि. खं. ..... जिला..... की मितानिन .....
(मितानिन का नाम लिखे) के..... (पति, बेटा, बेटी) है।

प्रति हस्ताक्षर :–

1.. ब्लॉक समन्वयक का नाम :..... ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर :.....
दिनांक ..... मोबाईल नम्बर:.....

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि आवेदक .....एवं ..... (आवेदक का मृतक के साथ सबंध) है । आवेदक से मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत मितानिन की मृत्यु उपरान्त परिवार को सहायता हेतु आवेदन दिनांक..... को प्राप्त किया है। निम्नलिखित आवष्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाती है।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

(1).....
(2).....
(3).....

.....
हस्ताक्षर एवं सील
जिला समन्वयक

मितानिन की मृत्यु पर परिवार को सहायता हेतु मानक

- यह योजना 1 जुलाई 2013 से लागू है।
- इस योजना के तहत 1 जुलाई 2013 के पश्चात् मितानिन की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिवार को रू. 20,000 की सहायता राशि दी जावेगी। यह योजना केवल उन्ही मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक,ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के लिये है जिनका जीवन बीमा नही कराया गया है।
- आवेदन मृतक मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक,ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयक के पति द्वारा किया जाये, पति न हो तो सबसे बडे बच्चे द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- मितानिन की मृत्यु पश्चात् आवेदन जल्दी किया जावे।
- आवेदक अपने बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करें। आवेदक को सहायता राशि बैंक के माध्यम से ही भुगतान किया जावेगा। आवेदक के नाम में परिवर्तन या भिन्नता **(आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में)** होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- आवेदक द्वारा स्वंय सत्यापित दस्तावेज **(आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न)** जमा किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष

वृद्धावस्था सहायता राशि हेतु आवेदन प्रारूप

(60 वर्ष या अधिक आयु की मितानिन,मितानिन प्रशिक्षक,ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के लिए जिनका स्वावलम्बन योजना में पंजीयन नहीं हुआ है)

---

1. आवेदक का नाम – .....
2. आवेदक वर्तमान में किस पद में है (कृपया (✓) का चिन्ह लगावें) –
   - मितानिन ☐
   - मितानिन प्रशिक्षक ☐
   - ब्लॉक समन्वयक ☐
   - स्वस्थ पंचायत समन्वयक ☐
3. पिता का नाम – .....
4. वर्तमान पता –
   - पारा – .....
   - ग्राम – .....
   - पंचायत – .....
   - विकासखण्ड – .....
   - जिला – .....
   - पिन कोड – .....
   - मोबाईल नम्बर – .....
5. आवेदक के बैंक खाते की जानकारी (कोर बैंक सुविधा युक्त बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें) –
   - बैंक का नाम – .....
   - स्थान – .....
   - बैंक का खाता क्र. – .....
6. आवेदन करने का दिनांक – .....
7. मितानिन की उम्र – .....

   (उम्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें – वोटर कार्ड या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जिससे उम्र का सत्यापन हो सके)
8. आवेदक का स्वावलम्बन योजना के तहत पंजीयन हुआ है (का चिन्ह लगावें) –

   हाँ ☐ या नहीं ☐

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

(नाम परिवर्तन होने कि स्थिती में भरें)

मैं, ..., पति/पिता श्री ..... शपथपूर्वक सत्यकथन करता/करती हूँ कि, आवेदन प्रपत्र, आयु प्रमाण पत्र/कार्ड एवं बैंक पासबुक में अंकित सभी नाम .... (सभी नामों को लिखें) एक ही व्यक्ति के हैं एवं मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जाता है अतः मुझे इन सभी नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन :–

सत्यापित किया जाता है कि आवेदक ..... में पारा .....
की (मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयक) है एवं आवेदक की आयु ..... वर्ष है तथा स्वावलम्बन योजना के तहत नहीं जुड़ी है। आवेदक पर किसी भी प्रकार के प्रकरण में राज्य स्तर से जांच नहीं हो रहा है। आवेदक मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है।

संलग्न दस्तावेजों की सूची –

1. आयु प्रमाण पत्र की छायाप्रति ☐
2. पासबुक की छायाप्रति ☐
3. .....

.....

मितानिन प्रशिक्षक के हस्ताक्षर

1. ब्लॉक समन्वयक के हस्ताक्षर .....
   ब्लॉक समन्वयक का नाम .....
   दिनांक .....
   मोबाईल नम्बर .....

2. जिला समन्वयक के हस्ताक्षर एवं सील .....
   जिला समन्वयक का नाम .....
   दिनांक .....
   मोबाईल नम्बर .....

वृद्धावस्था सहायता राशि प्राप्त करने हेतु मानक

- **पात्रता** – वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत जिन मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों का नाम स्वालम्बन योजना में नहीं जुड़ा है, एवं 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हो।
- यह योजना 1 जुलाई 2013 से लागू है; इसलिये 1 जुलाई 2013 के बाद 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाली मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयक ही पात्र होंगे।
- वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत पात्र मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयक को 60 वर्ष पूरे होने पर रू. 20,000 की एकमुश्त राशि की सहायता दी जावेगी।
- आवेदक के आयु प्रमाण पत्र के रूप में वोटर कार्ड, अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेज मान्य है। उपरोक्त उपलब्ध नहीं होने पर संरपंच द्वारा जारी पत्र भी मान्य होगा।
- आवेदक अपने कोर बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें। आवेदक को वृद्धावस्था सहायता राशि बैंक के माध्यम से ही भुगतान होगा।
- आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेज (आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न) जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदक के नाम में परिवर्तन या भिन्नता (आवेदन प्रपत्र या बैंक खाता में) होने पर शपथ पत्र वाला भाग अवश्य भरें।
- आवेदन के समय जिन आवेदनकर्ताओं का किन्ही प्रकरण में राज्य स्तर से स्तर से जांच चल रहा हो, उनको इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी। अतः आवेदक को आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

परिकल्पना एवं निर्माण

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़
बिजली ऑफिस चौक, कालीबाड़ी, रायपुर - 492001
दूरभाष :- 0771-2236175, 4247444

प्रतियां-73,000